(c) No action has been taken against any railway staff as none was found to have acted in a high handed manner in this incident. However, S.O. GRP, one Hd. Constable and 4 Constables are reported to have been suspended on the same date.

Shifting of Western Railway Headquarters to Dahod

3200. SHRI SOMJIBHAI DAMOR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal with the Government to shift the Headquarters of Western Railway from Bombay to Dahod as Dahod is centrally situated in Western Railway; and

(b) if so, when the proposal will be materialised?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) No.

(b) Does not arise.

मुरेना जिला मुख्यालय में ऊपरी पुल

3201. **श्री छविराम अर्गल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में मुरेना जिला मुख्यालय के रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पुल पर रेलवे विभाग तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग-अलग कितना खर्च किया जाना था ;

(ग) रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार जनता की आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इस ऊपरी पुल का निर्माण करने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) मुरेना-महागांव रोड पर मध्य रेलवे के मुरेना स्टेशन के निकट वर्तमान समपार सं० 450 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव रेलों के 1965-66 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था ।

(ख) उस समय तैयार किये गये प्राक्कलन और उस समय लागू विभाजन के नियमों के अनुसार रेलवे को लागत का 1.98 लाख रुपये का हिस्सा वहन करना अपेक्षित था ।

राज्य सरकार की जो लागत वहन करना है उसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) उक्त प्रस्ताव रेलों के 1965-66 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिये जाने के पश्चात अप्रैल 1967 में राज्य सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ कि सड़क ऊपरी पुल बन जाने के बाद समपार को भी बनाये रखा जाये जो मौजूदा परिपाटी के विरुद्ध था । ऐसी स्थिति में प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल की समूची लागत राज्य सरकार को वहन करनी थी । रेलवे द्वारा अप्रैल 1968 में तदनुसार प्राक्कलन में संशोधन किया गया और स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया । राज्य सरकार ने जुलाई 1969 में सूचित किया कि मुरेना पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया जाये । अतः यह प्रस्ताव रेलों के निर्माण कार्यक्रम से निकाल दिया गया । राज्य सरकार से इस प्रस्ताव के पुनः उठाये जाने के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।